(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 42/2022

GCMS CASE NO-2022/42

1.हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन 32 एच करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ।

रेस्पोडेंट

—::निर्णय::—

दिनांक : 20.03.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक 4 डीडब्ल्यूएम के प.न. 157/01 में 6.325 है0 भूमि पर फसल रबी 2078 में नाजायज काश्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने का नोटिस जारी किया गया।

उपतहसीलदार राजियासर ने अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर मालगुजारी का 50 प्रतिशत तावान, खडी फसल नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि बहक सरकार प्राप्त करने की आज्ञापारित की है।

वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार की बहस सुनी गई व अपील के तथ्यों का मनन किया गया। अपील के अनुसार अदालत मातहत ने नैसर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। फसलकुन्ता (Assesment) नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली तीनों आदेश एक साथ देकर गैर कानूनी आदेश पारित किया है। अपीलांट को पहले कभी बेदखल नही किया गया। ऐसे मे उन्हे पाश्चावर्ती अतिकमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नही दिये जा सकते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:53 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट [illegible] सिंह द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। [illegible] किसी प्रकार [illegible] साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि [illegible] उसका हक/हकूक साबित [illegible] अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
880

Scanned with OKEN Scanner

(5)

गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिकमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 28.01.2022 यथावत रखा जावे।

मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिकमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें आगामी निर्धारित तारीख पेशी 28.01.2022 से पूर्व अतिकमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिकमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिकमण नहीं हटाया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है। । तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ द्वारा पारित आदेश नैंसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। स्थगन प्रार्थन पत्र व अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner